न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 7/2015 दायरा दिनांक : 11.12.2015

उनवान

1– श्रीमती चन्द्र बाई बेवा रामभरोस, जाति धाकड (मृतक)

हरिशंकर पुत्र श्री रामभरोस, जाति धाकड़, निवासी बरखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– बिशनलाल वर्मा, तहसीलदार, अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– भैरूलाल चौपडा हल्का पटवारी बमूलियाकलां, निवासी शिवकॉलोनी, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– नवलकिशोर सुमन, जाति माली, कानूनगो, निवासी ब्रहमपुरी, तहसील अन्ता, जिला बारां

4– शिवप्रकाश मीणा सचिव ग्राम पंचायत बमूलियां, निवासी श्रीरामनगर, तहसील अन्ता, जिला बारां

5– मथुरालाल भील सरपंच ग्राम पंचायत बमूलिया, निवासी देहलाहेड़ी, ग्राम पंचायत बमूलियां, तहसील अन्ता, जिला बारां

6– लक्ष्मीनारायण प्रजापति, नायब तहसीलदार अन्ता, निवासी आर्दश नगर, द्वितीय कोटा रोड़ बारां, जिला बारां

7– विद्यारतन पुत्र माधोलाल, जाति गालव ब्राहमण, निवासी बरखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 06.04.2021

यह प्रार्थना पत्र धारा 2 (बी) धारा 12 अवमानना अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 2(1) सिविल प्रकिया संहिता बाबत न्यायिक अवमानना दिनांक 21.10.2013 अपील कमांक 214/2013 बउनवानी श्रीमती चन्द्रबाई बनाम विद्यारतन वगैरहा पेश की गई है ।

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बरखेडा पटवारी हल्का बमूलियांकलां में प्रार्थी की मा चन्द्रबाई की खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 0.13 हेक्टर स्थित है जिसके पूर्वी तरफ सरकारी चारागाह भूमि उत्तरी ओर खसरा नम्बर 202 हरिओम पुत्र नन्दलाल गालव ब्राहमण तथा उसके उत्तरी ओर अप्रार्थी कम 7 विद्यारतन की आराजी खसरा नम्बर 204 तथा पश्चिमी ओर खसरा नम्बर 200 हरिओम पुत्र लालाराम के खातेदारी की है । खसरा नम्बर 200 व खसरा नम्बर 199 के मध्य काफी समय से पत्थरों का कोट हो रहा है जहां पर कोई रास्ता स्थित नहीं है किन्तु विद्यारतन पुत्र माधोलाल जाति गालव ब्राहमण जानबूझकर खसरा नम्बर 199 की पश्चिमी मेड पर रास्ता कायम करने पर आमादा है जिसके संदर्भ में पूर्व में पंचायत समिति अन्ता द्वारा भी निर्णय किया जा चुका है किन्तु उसके बाद भी विद्यारतन परेशन करता रहा तो प्रार्थी की मां चन्द्रबाई ने एक वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के यहा प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 209/2011 दिनांक 21.10.2011 को स्वीकार कर ताफैसला वाद खसरा नम्बर 199 के मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किया जिसका अपील विद्यारतन द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत की जो अपील संख्या 333/2011 विद्यारतन बनाम चन्द्रबाई जिसमें आगामी पेशी दिनांक 28.10.2015 नियम है इसी प्रकार विद्यारतन द्वारा एक वाद सिविल न्यायालय (क.ख.) अन्ता में प्रस्तुत किया गया जिसके साथ भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें खसरा नम्बर 199 की पश्चिमी मेड पर कोई रास्ता नहीं पाया गया जिसके बाद विद्यारतन द्वारा एक कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी अन्ता के यहां धारा 251 (क) आर टी ए के तहत प्रकरण संख्या 35/2013 में निर्णय दिनांक 04.10.2013 को उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 199 रकबा 0.13 हेक्टर में से 22 X 4 = 88 वर्गमीटर यानि 0.08 हेक्टर देने का प्रस्ताव किया जो भूमि की कीमत का भुगतान होने के पश्चात करना था जिसकी अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें विद्यारतन की केवियट थी जिस पर केवियट पर विद्यारतन को सुन

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ...

कर दिनांक 21.10.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया जो अपील संख्या 214/2013 श्रीमती चन्द्रबाई मृतक हरिशंकर बनाम विद्यारतन वगैरह श्रीमान् के न्यायालय में जैरकार है जिसमें अब तक स्थगन आदेश चला आ रहा है । प्रार्थी की माँ चन्द्रबाई का देहान्त हो चुका है । प्रार्थी चन्द्रबाई का पुत्र है । अधीनस्थ न्यायालय से अपील संख्या 214/2013 में दिनांक 21.10.2013 से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है उसके पश्चात भी अप्रार्थी नम्बर 1 तहसीलदार अन्ता बिशनलाल वर्मा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 315/2014 धारा 91 एल आर ए के तहत दर्ज कर दिनांक 31.07.2014 को उपस्थित होने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस जारी किया गया इससे पूर्व इसी प्रकरण में 31.07.2014 को 20.08.2014 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार अन्ता के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 20.08.2014 को जवाब प्रस्तुत करते हुए स्थगन आदेश की प्रति के साथ में लगाते हुए पेश किया गया तथा तहसीलदार अन्ता द्वारा आदेशिका दिनांक 02.09.2014 में श्रीमान न्यायालय के यहां अपील विचाराधीन होना स्वीकार किया हुआ है किन्तु स्थगन आदेश होते हुए भी तहसीलदार अन्ता द्वारा दिनांक 19.09.2014 को धारा 91 एल आर ए के रिपोर्ट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह मानते हुए पटवारी द्वारा रिपोर्ट सही मानी जाकर लगान का 50 गुना राशि पेनल्टी आरोपित की जाकर बेदखली लिखा गया जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां में दिनांक 08.10.2014 को प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 27.10.2014 को स्थगन आदेश पारित किया गया उसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.10.2013 की अवमानना करते हुए अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 7 द्वारा जे सी बी मशीन ले जाकर जबरन प्रार्थी का बरसों पुराना कोट हटा दिया तथा उसके बाडे में रखा चारा, मवेशियों ने खुर्द बुर्द कर दिया । अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.10.2014 व उसके बाद समय समय पर बढ़ाये जाने की जानकारी होने के बावजूद श्रीमान् न्यायालय के आदेश को नहीं मानकर अवहेलना करते हुए ग्राम बरखेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 0.01 हेक्टर जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा दिनांक 04.10.2013 के आदेश जो रास्ते के रूप में कायम करने का निर्णय पारित किया है जिसमें श्रीमान् के न्यायालय द्वारा अपील संख्या 214/2013 में दिनांक 21.10.2013 से स्थगन आदेश चला आ रहा है जिसके बावजूद अप्रार्थी नम्बर 1 तहसीलदार अन्ता बिशनलाल वर्मा द्वारा अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 7 के द्वारा श्रीमान् के न्यायालय के आदेश की अवमानना के जुर्म में दण्डित किया जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किया कि स्थगन आदेश होने के बावजूद मौके पर जाकर हमारे निर्माण को ध्वस्त किया । न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में दिनांक 12.06.2015 को जिला कलेक्टर, बारां द्वारा सचिव महोदय लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार अन्ता द्वारा मौके की यथास्थिति में बदलाव किया है । जिला कलेक्टर, बारां के यहां धारा 91 की अपील विचाराधीन होने व स्थगन आदेश के बावजूद बेदखली कर मौके की स्थिति में उसी दिन परिवर्तन किया गया है जिस दिन स्थगन आदेश जारी किया गया है जिसके लिए तहसीलदार अन्ता श्री बिशनलाल वर्मा को दोषी माना गया है । माननीय लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के पत्र कमांक 22.09.2015 में प्रार्थी हरिशंकर धाकड़ को सूचित किया कि आपके परिवाद पर इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही में तहसीलदार अन्ता जिला बारां को दोषी माना गया है तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा की जा रही है । अब आपका परिवाद इस सचिवालय में बन्द कर दिया गया है । उक्त रिपोर्ट एवं पत्र से चूंकि तहसीलदार अन्ता को पूर्व में ही अवमानना का दोषी माना जा चुका है एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी जैरकार है । अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा अब कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा